Registrar Office

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut

Important Notice

Exam.	Reporting/ Document Verification		Counseling		From over all	To over all rank	Total no. of
	Date	Time	Date	Time	rank no.	no.	candidates
UG (PCM+PCB+ PAG+PHS)	24-6-2014	8.00 A.M.	25-6-2014	8.00 A.M.	1	200	200
	25-6-2014	8.00 A.M.	26-6-2014	8.00 A.M.	201	700	500
	26-6-2014	8.00 A.M.	27-6-2014	8.00 A.M.	701	1700	1000
	27-6-2014	8.00 A.M.	28-6-2014	8.00 A.M.	1701	3000	1300
	28-6-2014	8.00 A.M.	29-6-2014	8.00 A.M.	3001	4500	1500
	29-6-2014	8.00 A.M.	30-6-2014	8.00 A.M.	4501	6000	1500
	30-6-2014	8.00 A.M.	1/7/2014	8.00 A.M.	6001	8000	2000

Note:- All above UG ranker will be download their counselling letter after 11.6.2014 from the website www.upcatet.org and must be present at counselling place according to above schedule.

Important Instructions:-

- I. The qualified candidates, as per merit, shall be called for counselling on a specified date and time for consideration to admission in various Undergraduate, Master's and Ph.D. Programmes. The counselling will continue till the last seat in each Programme is filled-up. The candidate will not be informed by post. The counselling letter will be downloaded from the website www.upcatet.org.
- II. The candidates will have to report at the counselling place as per schedule given in counselling letter for checking of relevant documents and depositing prescribed fee. Those candidates who do not turn up at their call will be given a chance at the end of the day. They can claim only the Programmes in which seats are available at that time and as per their qualifications/groups.
- III. The candidates coming for personal appearance should bring along with them the following documents (in **Five sets**) for checking and depositing before counselling.
 - 1. Attested photocopies of High School Certificate and Marks-sheet along with the originals.
 - 2. Attested photocopies of Intermediate Certificate and Marks-sheet along with the originals.
 - 3. Attested photocopies of Marks-sheet and Certificate of Bachlor and Master degree qualification that he/she may possess along with the originals.
 - 4. Domicile Certificate of Uttar Pradesh State issued by the competent authority.
 - 5. Sport Weightage Certificate in original.
 - 6. Character and Conduct Certificate in original from the Head of the Institution last attended.
 - 7. Five-passport size photographs with name and Roll Number written on the back.
 - 8. Original copy of OBC category certificate issued after 31.3.2014.
 - 9. An affidavit accounting for discontinuity of more than three months after leaving the Institution last attended.
 - 10. T.C. (Transfer Certificate)/Migration in original.
 - 11. Declaration form duly signed by the candidate and countersigned by the parents/guardian for nonparticipation in ragging.
 - 12. Medical fitness certificate in the prescribed format.
 - 13. If any candidate fails to deposit counselling fee and an Advance Institution fee and original certificates, the admission would not be granted and he/she would loose his/her claim for admission.
 - 14. At the time of Counselling candidates have to bring a Bank Draft of 500/- for counselling fee and 5000/- for initial fee, in favour of Comptroller, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut payable at S.B.I. SVPAU (code No. 10653).
 - 15. The candidates, who want to take admission on payment seat, must have to bring Bank Draft (according to page no. 20 of prospectus) at the time of counselling.

(C.S. Prasad)

रिपोर्टिंग/कौन्सिलिंग हेतु निर्देश

- 9 रिपार्टिंग∕कौन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवेश का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- २ रिपोर्टिंग∕कोन्सिलिंग में भाग लेने हेतु रू० ५००.०० (रूपये पॉच सी मात्र) कौन्सिलिंग शुल्क का बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट **वित्त नियंत्रक,** सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में जारी हो और जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की एसवीपीयू शाखा (कोड नं० १०६५३) पर प्राप्त किया जा सके।
- ३ रिपोर्टिंग ∕कौन्सिलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूलरूप में एवं प्रत्येक की एक-एक प्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत करनी होगी।
 - हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (iii) मास्टर्स पाठ्क्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक (i) एवं (i i) के साथ स्नातक परीक्षा के अंक पत्र /ट्रॉसक्रिप्ट एवं उपाधि या पीडीक्सीक।
 - (iV) पी०एच०डी० पाट्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक (i)(ii)एवं(iii) के साथ मास्टर्स पाट्यक्रमों की मार्कसीट/सेमेस्टर रिपोर्ट/ट्रॉसक्रिप्ट एवं उपाधि या पी०डी०सी०।
 - (V) शिक्षा ग्रहण करने की अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०)∕माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
 - (Vi) उस संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र जहाँ से आपने अन्तिम शिक्षा ग्रहण की है।
 - (Vii) यदि आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो नवीनतम शासनादेश के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र दिनांक ३१.०३.२०१४ के बाद का बना हुआ ही मान्य होगा। यह प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ट ३३ एवं ३४ पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए।
 - (VIII) तीन पासपोर्ट साईज के नवीन फोटोग्राफ जैसा कि आवदेन पत्र पर चस्पा किया गया है।
 - (ÍX) अन्तिम शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि आप किसी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत नहीं रहे तो उक्त अन्तराल से सम्बन्धित शपत−पत्र जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित∕प्रमाणित हो।
 - (X) सिक्रय सेना के सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र। यह प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ ३४ पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए।
 - (Xi) प्रदेश स्तर के खिलाड़ी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। यह प्रमाण-पत्र सूचना विवरिणका के पृष्ठ ३६ पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र टीक नहीं पाया गया अथवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो खेल-कूद के लिए दिये जाने वाले २ प्रतिशत अंको का लाभ कम करते हुए आपकी मेरिट सामान्य श्रेणी के तहत ही मान्य होगी।
 - (Xii) विकलांगता प्रमाण-पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ट ३५ पर दिया गया है। बी०वी०एस०-सी० एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विकलांगता की दशा में प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ट २२ एवं २३ पर उल्लिखित शर्तों के अधीन ही मान्य होगा।
 - (Xiii) उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने का सामान्य प्रमाण-पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ट ३३ पर दिया गया है।
 - (XiV) पेमेन्ट सीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने सम्बन्धी नोटरी द्वारा सत्यापित शपत पत्र जो कि रू० १०.०० नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- ४ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवदेन पत्र पर किए गये हस्ताक्षर से मिलना चाहिए।
- ५ अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पत्र चस्पा किए किये फोटो का मिलान परीक्षा के समय खींचे गये फोटो से किया जायेगा। फोटो से मिलान ना होने की दशा में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- ६ रिपार्टिंग∕कौन्सिलिंग में बुलाये जाने का यह तात्पर्य नही है कि आपको प्रवेश मिल ही जायेगा। जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीटें भर जाएगी वहीं कौन्सिलिंग समाप्त हो जायेगी।
- ७ प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार प्रवेश के स्तर पर पहुँचने एवं प्रमाण-पत्रों की जॉच के उपरान्त यदि आप प्रवेश के लिए उपयुक्त पाये गये तो प्रवेश परीक्षा के समय निम्निलिखित शुल्क जमा कराना होगा। शेष शुल्क जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश पाया है, वहाँ पर जमा कराना होगा।
 - क) प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रारम्भिक प्रवेश शुल्क के रूप में रू० ५०००.०० (रू. पॉच हजार मात्र) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक का बना हो और **वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ** के पक्ष में होना चाहिए, जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की एसवीपीयू शाखा (**कोड नं० १०६५३**) पर देय हो। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। ड्राफ्ट न होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
 - (ख) ऐसे अभ्यर्थी जो पेमेन्ट सीट पर प्रवेश चाहते हो उन्हे उत्तर प्रवेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा-२०१४ की सूचना विवरणिका के पृष्ठ १६ एवं २० पर उल्लेखित विवरण के अनुसार पेमेन्ट सीट के शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक का बना हो और वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में होना चाहिए, जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की एसवीपीयू शाखा (कोड नं० १०६५३) पर देय हो। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। एक बार एन०आर०आई०/स्पान्सई अथवा पेमेन्ट सीट आवंटित होने के उपरान्त कालान्तर में उसे फ्री सीट पर परिवर्तित नहीं किया जायेगा। पेमेन्ट सीट हेतु जमा की गई धनराश किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
- ८ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कौन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी बल्कि रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग पत्र एवं अन्य सूचना वेबसाइट पर डाल दी जायेगी। यह अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह नियमित रूप से वेबसाइट देखता रहे और अपना रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग पत्र डाउन लोड करके रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग में भाग लें। यदि कोई अभ्यर्थी रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग पत्र के अभाव में रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग में भाग नहीं लेता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(सी० एस० प्रसाद)

कुलसचिव

नोटः

यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित प्रमाण-पत्र में से कोई भी प्रमाण-पत्र रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा वांछित शुल्क नहीं जमा करता है तो उसे मेरिट में रहते हुए भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एन०एच० ५८ (निकट बिजली घर सिवाया), रूड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ में स्थित है। मेरठ